विविध बैंक प्रकरण संख्या 32/2020(GCMS : 2020/00078) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री जसबीर सिंह मीलु, प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) <u>बनाम</u> 1. मैसर्स कुमावत ट्रेडिंग कंपनी प्रो. महेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथ निवासी दुकान नं. 114-बी, नई धान मंडी, सूरतगढ श्रीगंगानगर एवं गांव संगीता, पंचायत पदमपुरा तहसील सूरतगढ, श्रीगंगानगर 2. पूरन राम पुत्र मनीराम निवासी 3/193 पुरानी आरएचबी कॉलोनी, वार्ड नं 9(पुराना), सूरतगढ श्रीगंगानगर (राज.)

<u>21.03.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए और फार्म नं. 03 के साथ दस्तावेज शामिल किये। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12.02.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स कुमावत ट्रेडिंग कंपनी – प्रो. महेन्द्र कुमार एवं पूरन राम को ऋण सुविधा के रूप में 50.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पचास लाख मात्र) का ऋण दिनांक 15.12.2017 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी महेन्द्र कुमार द्वारा अपनी **रिहायशी सम्पत्ति situated at Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist. Sri Ganganagar (Through Patta No. 2 dated 04.11.2016, Book No. 01/2013 executed by Gram Panchayat, Paampura, Registered by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 201603115105942 measuring 39'X85' and Residential Prperty situated at Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist. Sri Ganganagar (Through Sale Deed dated 30.03.2015 by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 2015001532 Book No. 01/2015 measuring 39'X100' प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी।** उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:47 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.09.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 30.09.2019 को 52,65,706/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 05.10.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है तथा अप्रार्थी महेन्द्र कुमार के नोटिस 13(2) पर स्वयं के हस्ताक्षर है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र कुमार **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई सम्पत्ति situated at Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist. Sri Ganganagar (Through Patta No. 2 dated 04.11.2016, Book No. 01/2013 executed by Gram Panchayat, Paampura, Registered by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 201603115105942 measuring 39'X85' and Residential Prperty situated at Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist. Sri Ganganagar (Through Sale Deed dated 30.03.2015 by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 2015001532 Book No. 01/2015 measuring 35'X100' का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मैसर्स** कुमावत ट्रेडिंग कं[illegible] एवं पूरन राम को 50.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये प[illegible] की स्वीकृति दिनांक 15.12.2017 को **प्रदान** क[illegible] की एवज में अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र कुमार **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक** के पास **बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति** situated at **Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला [illegible]
श्री गंगानगर

Sri **Ganganagar (Through Patta No.** 2 dated 04.11.2016, Book No. 01/2013 executed by Gram Panchayat, Paampura, Registered by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 20160311510 5942 measuring 39'X85' and Residential Prperty situated at Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist. Sri Ganganagar (Through Sale Deed dated 30.03.2015 by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 2015001532 Book No. 01/2015 measuring 35'X100' प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **30.09.2019 को अनर्जक** परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। **बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 05.10.2019 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20. 10.2019 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी महेन्द्र कुमार के धारा 13(2) के नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है** और अप्रार्थी पूरन राम को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के रसीद पर अप्रार्थी पूरन राम के स्वयं के हस्ताक्षर की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:47 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक ऋण की एवज में [illegible] गई अप्रार्थी ऋणी महेन्द्र कुमार की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति **situated at Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist. Sri Ganganagar (Through Patta No. 2 dated 04.11.2016, Book No. 01/2013 executed by Gram Panchayat, Paampura, Registered by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 201603115105942**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

measuring 39'X85' and Residential Prperty situated at Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist. Sri Ganganagar (Through Sale Deed dated 30.03.2015 by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 2015001532 Book No. 01/2015 measuring 35'X100' जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.10.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 05.10.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण **मैसर्स** कुमावत ट्रेडिंग कंपनी – प्रो. महेन्द्र कुमार एवं पूरन राम को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.10.2019 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस की रसीद पर अप्रार्थी पूरन राम के स्वयं के हस्ताक्षर की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है और अप्रार्थी महेन्द्र कुमार के धारा 13(2) के नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा के एवज में ऋणी **अप्रार्थी महेन्द्र कुमार** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई गई **रिहायशी सम्पत्ति situated at Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist. Sri Ganganagar (Through Patta No. 2 dated 04.11.2016, Book No. 01/2013 executed by Gram Panchayat, Paampura, Registered by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 201603115105942 measuring 39'X85' and Residential Prperty situated at Village Sangeeta, Gram Panchayat Padampura, Teh. Suratgarh Dist. Sri Ganganagar (Through Sale Deed dated 30.03.2015 by Sub-Registrar Suratgarh at Serial No. 2015001532 Book No. 01/2015 measuring 35'X100' का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरत़ीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:47 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर